दांडिक प्रकरण क्रमांक 1889/2022

II-157
C.J.

छ.ग. राज्य विरूद्ध प्रमोद सिंह

Witness No.**01** For **अभियोजन साक्ष्य** Deposition taken the **28–11–2025** day of शुक्रवार Witness's apparent age 28 **वर्ष** States on affirmation **शपथपूर्वक** My name is ..मानमति D/W/S Of श्री निर्मल सिंह Occupation .....गृहणी ..... Address ग्राम पसला थाना व जिला सूरजपुर (छ0ग0)

.....

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0।

समय–03:20 पी0एम0

01. मैं, न्यायालय अनुपस्थित अभियुक्त प्रमोद सिंह को जानती हूं वह मेरा देवर है । प्रार्थी/आहत निर्मल सिंह मेरा पति है ।

02. घटना वर्ष 2022 की है । घटना दिनांक को हम लोग मैं और मेरे पति एवं मेरी बहन, दीदी सभी लोग अपने घर ग्राम पसला में थे तभी आरोपी प्रमोद बाहर से शराब पीकर आया और जमीन बंटवारे की बात को लेकर हम लोगों को मां–बहन की गंदी–गंदी गाली गलौच करने लगा जिसपर मेरे पति प्रार्थी निर्मल सिंह मना किये तो आरोपी प्रमोद सिंह ईट उठाकर मेरे पति के सिर में मार दिया था जिससे मेरे पति का सिर फट गया था और खून निकलने लगा था । घटना स्थल पर उपस्थित मेरे चाचा ससुर एवं अन्य लोग मेरे पति को ईलाज के लिये सूरजपुर अस्पताल लेकर गये थे ।

03. घटना के संबंध में मेरे पति निर्मल सिंह ने सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था तब पुलिस वाले घटना की जांच करने हमारे घर गये थे और उन्होंने हम लोगों से पूछताछ किया था तब मैंने घटना की बात पुलिस को बतायी थी ।

प्रतिपरीक्षण वास्ते कु० वैशाली ए०एल०डी०सी०ए० द्वारा अभियुक्त

04. यह कहना सही है कि प्रार्थी और आरोपी संगे भाई है । यह कहना सही है कि हम लोगों को आपस में जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है । यह कहना सही है कि हम लोगों के मध्य जमीन को लेकर

पुराना विवाद चल रहा है । यह कहना सही है कि मेरे पति (प्रार्थी) अभियुक्त के बड़े भाई है । यह कहना सही है कि अभियुक्त अविवाहित है । यह कहना सही है कि मेरे घर में घर या जमीन से संबंधित किसी भी मामले में मेरे पति ही फैसला लेते है । साक्षी स्वतः कहती है कि मेरे चाचा ससुर के साथ मिलकर लेते है । यह कहना गलत है कि हम लोगों का खाना एक साथ बनता है । साक्षी का स्वतः कथन है कि अलग–अलग बनता है । यह कहना सही है कि मेरे तीन बच्चे है एक लड़का है और दो लड़की है । यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस वालों को बयान नहीं दिया था । यह कहना सही है कि घटना के समय जो मुझे पता चला था मैंने वही बताया था । यह कहना सही है कि मैं घटना के वक्त घर में थी । यह कहना सही है कि मेरे पति के साथ हुआ तथाकथित घटना घर के बाहर हुआ था ।

05. यह कहना सही है कि घटना के समय मेरा डिलीवरी हुआ था इसलिये घटना के बारे में मुझे मेरे दीदी लोग मुझे घटना के बारे में बताये थे । यह कहना सही है कि मेरी बड़ी दीदी लोग मुझे घटना के बारे में जो बताये थे उसी के अनुसार घटना के बारे में जानती हूं । यह कहना गलत है कि प्रमोद के विवाह का उम्र हो गया है फिर भी हम लोग उसका विवाह नहीं करा रहे है , साक्षी स्वतः कही कि हम लोगों की बातों को नहीं सुनता है इसलिये नहीं करवा रहे है । यह कहना गलत है कि हम लोग उसको जमीन नहीं देना चाहते है इसलिये उसका विवाह नहीं कर रहे है । यह कहना गलत है कि हम लोगों के आरोपी के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया है ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त ।

समय–04:00 बजे

साक्षी को पढकर सुनाया गया। **मेरे निर्देष पर टंकित किया।**

सही होना स्वीकार किया।

ASHISH BHAGAT Digitally signed by ASHISH BHAGAT

(आशीष भगत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
सूरजपुर (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर .....

(आशीष भगत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
सूरजपुर (छ.ग.)